



भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

सीओ.डीपीएसएस.एयूटीएच.सं.एस.909/02.27.001/2023-24

19 दिसंबर 2023

CO.DPSS.AUTH.No.S909/02.27.001/2023-24

December 19, 2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
नंबर 6/बी, वैष्णवी समिट, पहली मंजिल,
7वां मुख्य, 80 फीट रोड, कोरमंगला तीसरा ब्लॉक,
बैंगलुरु, कर्नाटक, 560034

The Chief Executive Officer
Cashfree Payments India Private Limited
No.6/B, Vaishnavi Summit, 1st Floor,
7th Main, 80 Ft Rd, Koramangala 3rd Block,
Bengaluru, Karnataka, 560034

महोदया / महोदय,

Madam/ Sir,

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार - कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री)

Authorisation to operate as an Online Payment Aggregator under the Payment and Settlement Systems Act, 2007 – Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)

कृपया अपने आवेदन एवं इस विषय से संबंधित पत्राचार का संदर्भ लें।

Please refer to your application and related correspondence on the captioned subject.

2. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकार प्रमाणपत्र (सीओए) संख्या 160/2023 दिनांक 19 दिसंबर 2023 (इसके साथ संलग्न) में विस्तृत नियमों और शर्तों के अधीन कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (कैशफ्री) को 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। भुगतान प्रणाली भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के प्रावधानों, शर्तों के अधीन जारी किए गए नियमों, निर्देशों और

2. The Reserve Bank of India (RBI), in exercise of the powers conferred on it under the Payment and Settlement Systems Act, 2007, hereby grants authorisation to **Cashfree Payments India Private Limited (Cashfree)** to operate as an Online Payment Aggregator, subject to the terms and conditions detailed in the Certificate of Authorisation (COA) No. 160/2023 dated December 19, 2023 (enclosed herewith). The payment system shall be operated in accordance with the provisions of the Payment and Settlement



भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, 14वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई - 400 001.
फोन : (91-22) 2264 4995, फैक्स : (91-22) 2265 9566, 2269 1557 ई-मेल : cgmfpssco@rbi.org.in



Continuation Sheet...

दिशानिर्देशों और आरबीआई द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुमोदन के अनुसार परिचालित की जाएगी, जिन नियमों और शर्तों के अधीन प्राधिकरण प्रदान किया गया है। यह ध्यान दिया जाए कि प्राधिकार की किसी भी शर्त का पालन न करने की स्थिति में, भारतीय रिजर्व बैंक पीएसएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है, जिसमें भुगतान प्रणाली संचालन पर प्रतिबंध लगाना और/या सीओए को रद्द करना शामिल है।

Systems Act, 2007, the regulations, directions and guidelines issued thereunder, the terms and conditions subject to which authorisation is granted and the approvals given by RBI from time to time. It may be noted that in case of non-compliance with any of the conditions of authorisation, RBI may undertake action as deemed fit under the provisions of PSS Act, including imposition of restrictions on payment system operations and / or revocation of CoA.

3. हमारे पत्र CO.DPSS.AUTH. No. S1037/ 02.27.004/ 2022-23 दिनांक 27 सितंबर 2022 द्वारा कैशफ्री पेमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर लगाए गए मर्चेंट ऑनबोर्डिंग प्रतिबंध इस पत्र की तारीख से वापस लिए जाते हैं।

3. Merchant onboarding restrictions placed on Cashfree Payments India Private Limited vide our letter No. CO.DPSS.AUTH. No. S1037/ 02.27.001/ 2022-23 dated September 27, 2022 stand withdrawn from the date of this letter.

4. भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकृत भुगतान प्रणाली प्रदाताओं के लिए एक घटना रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया है। आपको हर असामान्य घटना की रिपोर्ट करने की सूचना दी जाती है, जिसमें साइबर हमले, महत्वपूर्ण प्रणालियों/अवसंरचना का आउटेज, आंतरिक धोखाधड़ी, निपटान में देरी आदि शामिल हैं। रिपोर्ट की जाने वाली/रिपोर्ट नहीं की जाने वाली घटनाओं की एक सांकेतिक सूची अनुबंध I में प्रदान की गई है। रिपोर्ट घटना होने के 24 घंटे के भीतर संलग्न घटना रिपोर्टिंग प्रारूप (एक्सेल शीट - अनुबंध II में osddpssco@rbi.org.in पर ई-मेल के

4. RBI has put in place an Incident Reporting Mechanism for Authorised Payment System Providers. You are advised to report every unusual incident, including those involving cyber-attacks, outage of critical systems / infrastructure, internal fraud, settlement delays, etc. An indicative list of incidents to be reported / not reported is provided in Annexure I. The report shall be submitted to the Department of Payment and Settlement Systems, Central Office, RBI through e-mail at





Continuation Sheet...

माध्यम से भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग, केंद्रीय कार्यालय, आरबीआई को प्रस्तुत किया जाए। निर्धारित समय के भीतर घटनाओं के विवरण की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में निहित प्रावधानों के तहत उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

5. कृपया पावती दें।

osddpssco@rbi.org.in in the enclosed Incident Reporting Format (excel sheet – Annexure II) within 24 hours of occurrence of the incident. Failure to report details of incidents within the stipulated time shall attract suitable penal action under provisions contained in the Payment and Settlement Systems Act, 2007.

5. Kindly acknowledge receipt.

भवदीय

२१२४१

(सुरम्य मोहन)
महाप्रबंधक

संलग्न: यथोक्त
Encl.: As above



Reserve Bank of India | DPSS | Central Office |